इटकी में डीजी सेट चोरी मामले का खुलासा, दो गिरफ्तार

संवाददाता

इटकी : इटकी थाना क्षेत्र में करीब 13 लाख रुपये मूल्य के 125 केवीए जैक्सन कमिन्स डीजी (जनरेटर) सेट के गायब होने के मामले में रांची पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी गया डीजी सेट पलामू जिले से बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रांची निवासी आकाश अग्रवाल ने इटकी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि इटकी निवासी कृष्णा कुमार महतो ने तीन दिनों के लिए जैक्सन कमिन्स का 125 केवीए डीजी सेट किराये पर लिया था। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद जनरेटर वापस करने के बजाय कृष्णा कुमार महतो ने अतिरिक्त पांच दिनों तक उपयोग की आवश्यकता बताई और अग्रिम भुगतान के रूप में 20 हजार रुपये भी भेजे। इसके बाद पुनः संपर्क करने पर उन्होंने चार दिन और जनरेटर रखने की बात कही। लगातार टालमटोल और संदेह होने पर आकाश अग्रवाल ने अपने चालक को जनरेटर की जांच के लिए भेजा, लेकिन बताए गए स्थान पर डीजी सेट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने इटकी थाना पहुंचकर कृष्णा कुमार महतो के खिलाफ जनरेटर गायब करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इटकी थाना कांड संख्या 46/26 के तहत वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के निर्देश पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं डीएसपी बेड़ो के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में इटकी थाना प्रभारी शिव नारायण तिवारी, पुलिस अवर निरीक्षक सुमित दास तथा सहायक अवर निरीक्षक किरण बारला सहित अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। विशेष टीम ने त्वरित अनुसंधान करते हुए मामले का सफल उद्भेदन किया और कांड में संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज महली (पिता- रामचंद्र महली, निवासी- मुरुंगडा, थाना ठाकुरगांव, जिला रांची) तथा सुजीत कुमार महतो (पिता- कन्हैया महतो, निवासी- कोइरी टोला, थाना इटकी, जिला रांची) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गया करीब 13 लाख रुपये मूल्य का 125 केवीए जैक्सन कमिन्स डीजी सेट पलामू जिले से बरामद कर लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है तथा उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

संत माइकल स्कूल में डालसा का नशा उन्मूलन पर जागरूकता कार्यक्रम

पिस्का नगड़ी : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), रांची की ओर से गुरुवार को इटकी रोड स्थित संत माइकल स्कूल, जाजपुर सपारोम में नालसा की योजना डान-2025 के तहत नशा उन्मूलन विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम माननीय न्यायमूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झालसा सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश, सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना तथा न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। एलएडीसीएस सहायक पंकज कुमार शर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-47 राज्य को नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की दिशा में कार्य करने का निर्देश देता है।

पीपीपी मोड पर चल रही पैथोलॉजी सेवाओं की होगी समीक्षा

जेएमएचआईडीपीसीएल बोर्ड की 19वीं बैठक में हुआ निर्णय

वरीय संवाददाता

रांची : झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएमएचआईडीपीसीएल) के निदेशक मंडल की 19वीं बैठक गुरुवार को अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में कुल 32 एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक का प्रमुख निर्णय पीपीपी मोड पर संचालित पैथोलॉजी सेवाओं को लेकर रहा। बोर्ड ने निर्णय लिया कि जिन जिलों के सदर अस्पतालों में जांच की पर्याप्त सरकारी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, वहां पीपीपी मोड पर कार्यरत पैथोलॉजी एजेंसियों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। बैठक में सहिया कार्यकर्ताओं के लिए टैब तथा स्वास्थ्य विभाग के लिए लैपटॉप खरीदने के प्रस्ताव पर भी बात की गई। इसकी संचिका कैबिनेट को भेजा जाएगा। इसके अलावा सहिया कार्यकर्ताओं के लिए स्कूटी और वर्दी (बंडी) उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श हुआ। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि निर्धारित मापदंडों एवं नियमों के तहत ही स्कूटी सहित अन्य सामग्री की खरीद की जाए तथा जहां आवश्यक हो, वहां आवश्यक खर्च किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन जिलों में कंप्यूटर की आवश्यकता हो वहां खरीदी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका समय पर संस्थापन और उपयोग हो। बैठक में बोर्ड के पुनर्गठन (रिस्ट्रक्चरिंग) की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। बोर्ड को इसे मजबूत बनाने के लिए 20 पदों के सृजन की अनुशंसा की। साथ ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि जहां उनकी आवश्यकता नहीं है, वहां संबंधित कर्मियों को एजेंसी को वापस कर दिया जाए। बैठक में एनएचएम के एमडी शशि प्रकाश झा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सिद्धार्थ सान्याल, उप सचिव ध्रुव प्रसाद तथा संयुक्त निदेशक रीतु सहाय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

HDB FINANCIAL SERVICES — एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: राधिका, दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009

शाखा: बिरेन्द्र ट्रेड सेंटर, तीसरी मंजिल, एसएनपी एरिया, मेन रोड साकची, जमशेदपुर-831001

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना

आप, नीचे उल्लेखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा गारंटीदाताओं ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी पर रखकर एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड शाखा से ऋण की सुविधाएं हासिल की है। आपने अपने वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया तथा उसे चुकता करने में विफल हो चुके हैं। आपके विफल होने के परिणामस्वरूप आपके ऋणों को अनर्जक सम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। चूंकि आपने उक्त ऋणों की सुविधा हासिल करने के साथ उसे चुकता करने के लिए प्रतिभूतियों के संबंध में नीचे उल्लेखित प्रतिभूति हित सृजित किया है। **एचडीबी** के पास बकाया रकम की वसूली का अधिकार है। अब प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (अधिनियम) के अधीन मांग सूचना जारी की गई है। अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अनुसार इसके विषय वस्तु को यहां आपके लिए वैकल्पिक सेवा के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। कर्जदारों, सह-कर्जदारों, गारंटीदाताओं, ऋणों, प्रतिभूतियों, बकाया रकम, धारा 13(2) के अधीन भेजी गई मांग सूचना तथा उसके अधीन दावा की गई रकम का नीचे उल्लेख किया गया है:

1 **कर्जदार तथा सह-कर्जदारों के नाम: ए के ट्रेडर्स** पता: मकान सं.-83, रोड सं.-17, ग्रीन वैली, जाकिरनगर, डाकघर-आज़ादनगर, मांगो, जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, आजादनगर-832110 तथा और एक पता फ्लैट संख्या सी-4, तृतीय तल, रीजुवेनेट टॉवर, मौजा-मांगो, हल्का संख्या-1, वार्ड संख्या-8, एमएनएसी, थाना-मांगो, थाना संख्या-1641, मांगो, आज़ादनगर-832110; रुकैया इकबाल, रोशन इकबाल, द्वारा श्री अब्दुल खालिक, रीजुवेनेट टॉवर, द्वितीय तल, केरल पब्लिक स्कूल के सामने, मांगो, जमशेदपुर-832110। **ऋण खाता संख्या: 61049691 स्वीकृत ऋण का विवरण: रु. 42,00,000/- (रुपये बयालीस लाख मात्र), ऋण खाता संख्या: 61049691 द्वारा,** प्रतिभूति का विवरण: एक आवासीय फ्लैट, फ्लैट संख्या सी-4, तृतीय तल, सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 970 वर्ग फुट, जिसमें कार पार्किंग शामिल है तथा 'रीजुवेनेट टॉवर' परियोजना में भूमि का आनुपातिक अविभाजित हिस्सा (127 वर्ग फुट)। यह परियोजना कुल 6 कट्ठा 7 धुर भूमि पर निर्मित है, जो मौजा- मांगो, हल्का संख्या-1, वार्ड संख्या-8, एमएनएसी, थाना-मांगो, सर्वे थाना संख्या-1641, पुराना खाता संख्या-58, पुराना प्लॉट संख्या-196, नया खाता संख्या-871, नया प्लॉट संख्या-812 में स्थित है। यह संपत्ति डीएसआरओ, जमशेदपुर, जिला उप-पंजीयक कार्यालय, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, राज्य- झारखंड के अधिकार क्षेत्र में आती है। यह संपत्ति रुकैया इकबाल, पत्नी-रोशन इकबाल तथा रोशन इकबाल, पुत्र अब्दुल खालिक के स्वामित्व में है। यह संपत्ति विक्रय विलेख संख्या 2022/जेएसआर/85/बीके1/81, दिनांक 08.01.2022 के माध्यम से अर्जित की गई थी, जिसका पंजीकरण जमशेदपुर के उप-पंजीयक कार्यालय में कराया गया था। संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं: **उत्तर:** फ्लैट संख्या सी-3, **दक्षिण:** खुला आकाश, **पूर्व:** खुला आकाश, **पश्चिम:** सीढ़ियाँ। **एनपीए की तिथि: 03.07.2026, मांग सूचना की तिथि: 20.07.2026, दावा राशि: रु. 42,45,493.28 (रुपये बयालीस लाख पैंतालीस हजार चार सौ तिरानवे और अट्ठाईस पैसे मात्र) दिनांक 14.07.2026 तक,** तथा वास्तविक वसूली की तिथि तक संविदा की शर्तों के अनुसार लागू ब्याज, अन्य प्रभार, व्यय एवं शुल्क अतिरिक्त।

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम के अंतर्गत आप पर एचडीबी की लिखित रूप से पूर्व अनुमति के बगैर किसी भी रूप में, चाहे कुछ भी हो, ऊपर उल्लेखित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अधीन गठित नियमों की अवहेलना तथा अवहेलना करने के लिए उकसाने वाले किसी भी व्यक्ति पर अधिनियम के तहत जेल तथा/अथवा जुर्माना का दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा, अगर आप ऊपर उल्लेखानुसार **एचडीबी** को भुगतान करने में विफल होते हैं, तो एचडीबी अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमों के अधीन ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जो सम्पूर्ण रूप से आपके जोखिम तथा परिणामों पर निर्भर होगा। प्रत्याभूत सम्पत्ति को मुक्त कराने के संबंध में उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटीदाताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। किसी भी तरह के अनुसंधान तथा समझौता के लिए कृपया **श्री विद्युत मजूमदार: 9007177746 अथवा सुश्री पूजा सुर: LM.maniktala@hdbfs.com, एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड** से सम्पर्क करें।

स्थान: झारखण्ड — **कृते एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड**

दिनांक: 31.07.2026 — **अधिकृत अधिकारी**

Affidavit

I, Dinkar Bhushan, S/o Chaturbhuj Prasad, R/o 354. Khirgaon Near T.V. Tower Barkagaon Road PO & PS Sadar, Distt. Hazaribag , Jharkhand do hereby solemnly affirm and declare on affidavit No.11562 dt. 28.7.2026 My son's name is Satvik Kartikey, which is actual and correct name.According to his documents i.e Aadhar bearing no. 2943 3528 9607 and Birth certificate bearing Reg. No. 3047 dt. 22.12.2025. his actual name is Satvik -Kartikey. due to some error in his passport bearing no. U3517646 his name is satwik Kartikey. Satvik Kartikey and Satwik Kartikey is the same name of one and same son. through this affidavit he known in future as per his correct name Satvik Kartikey.

ESAF ESAF SMALL FINANCE BANK

REGD. OFFICE: ESAF Bhavan, Mannuthy, Thrissur- 680 651, Kerala

GOLD AUCTION NOTICE

Notice is hereby given to the public that gold ornaments pledged with ESAF Small Finance Bank Ltd. against various loan accounts and remaining overdue/ unredeemed despite repeated notices will be auctioned for recovery of the Bank's dues, in accordance with applicable banking regulations and policies.

DETAILS OF AUCTION

Mode of Auction: Off-line (Physical Auction through Branches)

Date of Auction: 03-09-2026 | **Time:** 11:00 AM to 01:00 PM

Auction Venues: The auction will be conducted at the following ESAF Small Finance Bank branches in **Jharkhand**

Interested bidders are requested to visit the respective branches for participation. For detailed branch addresses and contact numbers, please visit the Bank's official website

BRANCH NAME - LOAN ACCOUNT NUMBER

Bokaro: 75260000128492, 0301996, **Dhanbad**: 63260000307643, 0307923, 0350730, 75260000126536, **Dumka**: 63260000296201, 0299226, 0302832, 0305026, 0313341, 0336137, 0350170, 0350430, **Bagodar**: 63260000309839, 0340989, 0343024, 75260000164443, 0232226, 0257148, **Giridh**: 63250001418565, 63260000294085, 0296441, 0302942, 0314589, 0321586, 0349653, 75260000166569, **Hazaribag**: 63250001462491, 63260000300786, 0306215, 0311815, 0353215, 75250002150714, **Jamshedpur**: 63260000319530, 0333403, 0333793, 0351388, 0351658, 0355351, **Ranchi**: 63260000291090, 0296451, 0301984, 0303820, 0309779, 0317244, 0333393, 0341907, 0345820, 0350600.

Important Instructions: Borrowers may redeem their pledged gold ornaments by clearing the total dues along with applicable charges at least two days prior to the auction date. Interested bidders must carry valid KYC documents. GST Registration Number is mandatory for firms/companies, wherever applicable. Bidders are required to deposit an Earnest Money Deposit (EMD) of Rs.2,500 before participating in the auction. The auction will be conducted on an **"as is where is"** and **"as is what is"** basis. The Bank reserves the right to cancel/postpone the auction or reject any bid without assigning any reason. Participation in the auction shall be deemed acceptance of all terms and conditions of the Bank. The Minimum Reserve Price will be fixed by bank on the basis of IBJA Rate as applicable on the basis of purity of Gold.

Place: **Thrissur** — (Sd/-) Authorized Signatory

Date: **31-07-2026** — **ESAF Small Finance Bank Ltd.**

Piramal Finance

रजिस्टर्ड ऑफिस का पता: यूनिट नंबर 601, छठी मंज़िल, पिरामल अमिटी बिल्डिंग, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070.

CIN: L65910MH1984PLC032639, वेबसाइट:- www.piramalfinance.com

मांग सूचना

'सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' (जिसे आगे 'उक्त एक्ट' कहा गया है) की धारा 13(2) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3(1) के तहत, नीचे हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति 'पिरामल फाइनेंस लिमिटेड (पीएफएल)' (पहले 'पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड') का अधिकृत अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 13(12) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अधिकृत अधिकारी ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत 'डिमांड नोटिस' जारी किए हैं। इन नोटिसों के ज़रिए नीचे बताए गए उधारकर्ताओं ('उक्त उधारकर्ता') से कहा गया है कि वे उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में बताई गई रकम चुकाएं (जो नीचे भी दी गई है)। इस संबंध में, उक्त उधारकर्ताओं को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस नोटिस के छपने के 60 दिनों के भीतर पीएफएल को नीचे बताई गई रकम का भुगतान करें। साथ ही, उक्त डिमांड नोटिस में बताए गए तरीके से, नीचे दी गई तारीखों से लेकर भुगतान और/या वसूली की तारीख तक का अतिरिक्त ब्याज भी चुकाएं। यह भुगतान लोन एग्रीमेंट और उक्त उधारकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित अन्य दस्तावेजों/लिखतों (यदि कोई हों) के तहत देय है। लोन की सही समय पर अदायगी की सुरक्षा के तौर पर, उक्त उधारकर्ताओं ने क्रमशः नीचे दी गई संपत्तियां पीएफएल के पास गिरवी रखी हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तारीख और रकम, साथ ही एनपीए की तारीख	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(रांची शाखा का LC No. 5800001865) ज्योति नारायण (उधारकर्ता) कुमारी मोहिता (सह-उधारकर्ता 1)	तारीख: 30-06-2026/ रु. 23,78,633/- (तेईस लाख अठहत्तर हज़ार छह सौ तैंतीस मात्र) एनपीए (08-02-2026)	लव-कुश टॉवर नाम की बहुमंज़िला इमारत के ब्लॉक 'Lav' की चौथी मंज़िल पर स्थित फ्लैट नंबर 4/D (जिसका सुपर बिल्ट-अप एरिया लगभग 1535 वर्ग फुट है) और साथ में कार पार्किंग की जगह। इसके अलावा, आर एस प्लॉट नंबर 1465 (खाता नंबर 194) के तहत आने वाली कुल 49 डेसिमल ज़मीन में से अविभाजित और आनुपातिक हिस्सा भी शामिल है। यह प्रॉपर्टी Phed कॉलोनी, गाँव बूटी, P.S. रांची (अब सदर), रेवेन्यू थाना नंबर 182, शहर और ज़िला रांची में स्थित है।

अगर बताए गए उधारकर्ता पीएफएल को ऊपर बताई गई रकम का भुगतान करने में नाकाम रहते हैं, तो पीएफएल एक्ट की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत ऊपर बताई गई सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई से होने वाले खर्च और नतीजों की पूरी ज़िम्मेदारी उधारकर्ताओं की होगी। एक्ट के तहत, उधारकर्ताओं को पीएफएल की पहले से लिखित मंज़ूरी के बिना इन संपत्तियों को बेचने, लीज़ पर देने या किसी और तरह से ट्रांसफर करने की मनाही है। जो कोई भी इस एक्ट या इसके तहत बने नियमों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने में मदद करता है, उसे एक्ट में बताई गई सज़ा (जेल और/या जुर्माना) हो सकती है।

तारीख: 31 जुलाई, 2026 — **हस्ताक्षर/- (अधिकृत अधिकारी)**

स्थान: रांची — **पीरामल फाइनेंस लिमिटेड**

इंडियन पब्लिक स्कूल में पीटीएम, परीक्षा परिणाम और स्टूडेंट लीडरशिप कार्यक्रम आयोजित

ओरमांझी ; चंदवे स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में गुरुवार को पेरेंट्स-टीचर्स मीटिंग (पीटीएम), परीक्षा परिणाम वितरण एवं स्टूडेंट लीडरशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लेकर शिक्षकों से बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, अनुशासन और भविष्य की तैयारी को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए तथा विद्यार्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं वितरित की गईं। शिक्षकों ने अभिभावकों को बच्चों की उपलब्धियों के साथ-साथ सुधार के क्षेत्रों से भी अवगत कराया और नियमित अध्ययन, अनुशासन तथा अभिभावकों के सहयोग को सफलता की कुंजी बताया। विद्यालय परिसर में आयोजित स्टूडेंट लीडरशिप कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपकर उनमें नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का संदेश दिया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यालय का वातावरण उत्साह और अनुशासन से सराबोर रहा। विद्यालय के चेयरमैन मुजीब अली ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे जिम्मेदार और नेतृत्व क्षमता से संपन्न नागरिक तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। उन्होंने बताया कि विद्यालय में शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों, अनुशासन और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि 15 अगस्त तक विद्यालय में खेलकूद सहित विभिन्न शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।य

भौतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank — **शाखा कार्यालय :** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, बीपी-4, टेक्नोपोलिस बिल्डिंग, चौथी मंजिल, सेक्टर- V, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700091

CIN No: L65190GJ1994PLC021012, www.icicibank.com

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।

कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा भौतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ भौतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	सागर तिवारी/सूरज कुमार तिवारी/ श्वेता कुमारी तिवारी/ एच नंबर 47, न्यू ताला लाइन, गोलमुरी पूर्वी सिंह भूम झारखंड, जमशेदपुर- 831003/ LBJMR00006024461, TBJMR00006897762, LBJMR00006027810, LBJMR00006948072	''आस्था साई सिटी'' फ़्लैट नं. 5/4 (सबसे ऊपरी मंज़िल), ब्लॉक कृतिका; प्लॉट नं. 2157, 2169 (खाता नं. 620 के तहत दर्ज) और प्लॉट नं. 216714392 (खाता नं. 699 के तहत दर्ज) के हिस्से में स्थित; डिमना रोड मानगो, मौज़ा मानगो, थाना मानगो (थाना नं. 1642), होल्डिंग नं. 0100004184000ए1, वार्ड नंबर 10एमएनएसी (अब मानगो नगर निगम) के अंतर्गत; सब-रजिस्ट्री ऑफ़िस जमशेदपुर, ज़िला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड (बिल्ट-अप एरिया 920 वर्ग फ़ीट (सुपर बिल्ट-अप), जिसमें टू-व्हीलर पार्किंग की जगह और ज़मीन का 200 वर्ग फ़ीट का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा शामिल है। चतुर्सीमा-उत्तर: स्काई पैसेज और फिर बाउंड्री, दक्षिण: फ़्लैट नंबर 5/3, पूर्व: स्काई पैसेज और फिर बाउंड्री, पश्चिम: कॉरिडोर/ भौतिक कब्ज़े की तिथि- 28/07/2026)	अप्रैल 22, 2025 रु. 31,63,823.02/-	जमशेदपुर

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार(रों)/सह-कर्ज़दार(रों) एवं ज़मानतदार(रों) को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् कब्ज़े की संपत्ति(याँ) नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक : जुलाई 31, 2026 — **भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

स्थान : जमशेदपुर — **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए**

एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डीएवी बचरा के छात्रों ने 4 गोल्ड मेडल जीता

पिपरवार : डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स क्लस्टर लेवल प्रतियोगिता 2026झ27 के अंतर्गत आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन डीएवी पब्लिक स्कूल बरियातू के तत्वावधान में खेलगांव एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में आयोजित किया गया। इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र के बचरा डीएवी स्कूल के एथलेटिक्स के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल समेत 5 मेडल जीतकर स्कूल का नाम रौशन किया। अंडर-14 बालक वर्ग की ट्रिपल जंप स्पर्धा में शिवम कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।अंडर-17 बालक वर्ग में ऋत्विक रावत ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक तथा ट्रिपल जंप स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।इसी वर्ग में समीर कुमार गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर दौड़ एवं लॉन्ग जंप स्पर्धा में दो स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया।तीनों खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर जोनल स्तर की प्रतियोगिता के लिए सफलतापूर्वक क्वालीफाई किया। बचरा डीएवी स्कूल के खेल प्रशिक्षक अवनीश कुमार सिंह ने सभी खिलाड़ियों को उनकी शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। स्कूल के प्राचार्य साहिल ठाकरान ने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी तथा विश्वास व्यक्त किया कि वे भविष्य में भी विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रौशन करेंगे।

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN: L65910KL1992PLC006623, **Registered Office :** W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

नीलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 17.08.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

बोकारो, बोकारो स्टील सिटी, 0139360700003673, 3697, 3811, 3821, 4244, 4274, 4802, 0139360730006258, 6282, 6587, 6588, 7015, 7060, 7087, 7088, 7089, 7121, 7333, 7334, 7335, 7499, 4304, 4306, 4307, 4308, 4315, 4316, 4318, 4319, 4324, 4325, 4327, चास-बोकारो 0138460700004992, 5714, 6071, 6072, 6133, 6264, 6363, 6659, 6685, 6700, 6736, 6817, 6833, 6938, 7011, 7038, 7633, 7719, 7721, 7971, 8012, 8040, 8087, 8115, 8161, 8241, 8242, 8305, 8433, 8475, 8591, 8638, 0138460730013885, 4282, 4442, 5251, 5252, 5783, 5914, 5935, 5958, 6124, 6235, 6959, 6960, 7042, 7403, 8514, 9271, 9272, 9765, 0073, 0825, 0826, 0834, 0837, 0840, 0841, 0846, 0850, 0852, 0853, 0151, 0177, चास-बोकारो स्टील सिटी, 0135740700024419, 5312, 5578, 5600, 5785, 6098, 6147, 6431, 6433, 6489, 6552, 6755, 6849, 6889, 6924, 6942, 6990, 7118, 7137, 7151, 7155, 7249, 7270, 7339, 7386, 7413, 7537, 7645, 7742, 7772, 7785, 7831, 7905, 7919, 8043, 8061, 8095, 8098, 8109, 8129, 8178, 8214, 8255, 8285, 8341, 8361, 8368, 8417, 8528, 8680, 8704, 8713, 8737, 8741, 8762, 8763, 8783, 8795, 8860, 8894, 8924, 8974, 8979, 8985, 9029, 9056, 9117, 9120, 9128, 9337, 9402, 9426, 9433, 9437, 9635, 9681, 9707, 9932, 9949, 0064, 0097, 0179, 0135740730037074, 8572, 9105, 9112, 9308, 9513, 9898, 0169, 0755, 0918, 1016, 1020, 1284, 2585, 2587, 2863, 2934, 3004, 3005, 3151, 3239, 3399, 3650, 3651, 4658, 4674, 5023, 5151, 5252, 5253, 5322, 5335, 5486, 5489, 5615, 5631, 5640, 5641, 5642, 5708, 6420, 6421, 6497, 6505, 6825, 6955, 6992, 8302, 8891, 9868, 0278, 0659, [illegible] 1540, 1592, 1608, 1639, 1641, 1648, 1649, 1687, 1708, 1724, 1760, 1786, 1794, 1827, 1860, 1870, 1901, 1921, 1945, 2020, 2182, 2265, 2318, 2409, 2438, 2443, 2554, 2722, 2864, 2970, 2974, 3018, 3102, 3240, 3288, 3341, 3346, 3411, 3425, 3438, 3504, 3631, 3657, 3738, 3741, 3781, 3784, 3882, 3936, 3993, 4015, 4127, 4154, 4196, 4381, 4404, 4462, 4506, 4562, 4568, 4710, 4756, 4820, 4856, 4941, 4958, 5040, 5048, 5066, 5071, 5081, 5131, 5139, 5147, 5169, 5211, 5216, 5223, 5232, 5246, 5303, 5321, 5324, 5331, 8161, 8170, 0128920730043177, 4005, 5090, 5264, 6022, 6188, 6430, 6617, 6866, 6893, 7605, 7733, 7864, 7875, 7876, 7877, 7973, 7985, 8225, 8934, 9142, 9199, 9289, 9291, 9393, 9394, 9542, 9580, 9581, 9742, 9774, 9816, 9819, 9846, 9939, 0096, 0228, 0307, 0362, 0475, 0729, 0898, 0979, 0980, 0981, 0982, 1099, 1100, 1143, 1296, 1297, 1360, 1528, 1995, 2129, 2231, 2480, 2560, 2561, 2589, 2647, 2666, 2697, 2750, 2774, 3157, 3162, 3292, 3544, 3571, 3612, 4389, 4527, 4658, 5177, 6040, 6378, 6434, 6711, 6727, 6728, 6842, 6929, 7046, 7268, 7372, 4027, 4029, 4030, 4031, 4046, 4051, 4057, 4062, 4063, 4067, 4068, 4071, 4072, 4076, 0140, 0144, 0149, 0128, 0132, 0134, 0138, 0139, 0152, 0158, अपर बाजार रांची, 0135650700011409, 2276, 2920, 3018, 3094, 3101, 3180, 3305, 3431, 3434, 3493, 3547, 3552, 3565, 3590, 3930, 4148, 4174, 4215, 4373, 4457, 4462, 4489, 4598, 4603, 4747, 4790, 4880, 4882, 4887, 4924, 4928, 6223, 0135650730026608, 6705, 6706, 6893, 7630, 7974, 8169, 8193, 0208, 0209, 0210, 0247, 0451, 0512, 0513, 0578, 0716, 0913, 1029, 1382, 1428, 1884, 1918, 2153, 2221, 2222, 2235, 2288, 2289, 2345, 2371, 2461, 2610, 2611, 2710, 2800, 2968, 3017, 3191, 3384, 3703, 4742, 2399, 2400, 2402, 2407, 2408, 2411, 2417, 2419, 2420, 2422, 0143, पश्चिम सिंहभूम, आदित्यपुर जमशेदपुर, 0135530700018242, 8246, 8317, 8689, 9067, 9165, 9401, 9427, 9522, 9652, 9663, 9671, 9802, 9865, 9875, 9886, 9945, 9961, 0023, 0071, 0083, 0203, 0235, 0236, 0291, 0386, 0434, 0510, 0571, 0705, 0830, 0883, 0913, 0928, 0976, 1156, 1403, 1868, 1901, 1933, 1952, 1972, 1976, 1991, 2535, 2547, 2548, 2566, 2569, 2587, 2702, 0135530730052009, 3900, 7694, 8392, 8393, 8569, 9070, 9703, 1243, 1712, 1897, 2747, 2866, 2932, 3035, 3156, 3412, 4084, 4246, 4362, 4363, 5107, 5154, 6123, 6183, 6549, 7737, 8936, 0669, 0907, 0935, 1196, 4717, 4723, 4724, 4733, 4734, 4735, 4736, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4744, 4747, 4748, 4757, 4766, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779,

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:- इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी के रूप में रू.10,000/- नीलामी के दिन नकद जमा कराना होगा (असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाएगा). बोलीकर्ता को वैध पहचना प्रमाण/पैन कार्ड साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपया 7076372064 पर संपर्क करें.

अधिकृत अधिकारी

मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

केनरा बैंक Canara Bank (भारत सरकार का उपक्रम) (A government of india undertaking) सिंडिकेट Syndicate | **राँची बरियातू शाखा** | **मांग सूचना [धारा 13(2)]**

संदर्भ: CB/3709/SAURABH ANAND/DEMAND/13(2)/BORROWER — दिनांक: 30/07/2026

उधारकर्ता : सौरभ आनंद, पिता आनंद मोहन प्रसाद, सी/ओ विकास भूषण सहाय, इंद्रपुरी रोड नंबर 13, हेहल रातू रोड, राँची, झारखण्ड 834005. **अन्य पता सौरभ आनंद,** पिता आनंद मोहन प्रसाद, C/o 4A, ब्लॉक C, लालपुर, जिला राँची, झारखण्ड 834001

बंधककर्ता : सौरभ आनंद, पिता आनंद मोहन प्रसाद, C/o विकास भूषण सहाय, इंद्रपुरी रोड नंबर 13, हेहल रातू रोड, राँची, झारखण्ड 834005. **अन्य पता सौरभ आनंद,** पिता आनंद मोहन प्रसाद, R/o निवासी 4A, ब्लॉक सी, लालपुर, जिला राँची, झारखण्ड 834001

प्रिय महोदय/महोदया

विषय : वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना। ("अधिनियम" के रूप में संदर्भित)।

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत नियुक्त अधोहस्ताक्षरी **केनरा बैंक, राँची बरियातू शाखा** ("प्रतिभूत लेनदार" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। इसके द्वारा आपको निम्नानुसार यह नोटिस जारी करती है : यह की :

1. सौरभ आनंद, पिता आनंद मोहन प्रसाद ("उधारकर्ता/बंधककर्ता" के रूप में संदर्भित) ने अनुसूची 'ए' में उल्लिखित वित्तीय सहायता/ ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है और सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में सुरक्षा समझौता/समझौते किए हैं। उक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय, आपने स्पष्ट रूप से उपर्युक्त समझौतों की शर्तों के अनुसार ऋण राशि/राशियों को चुकाने का वचन दिया है।

तथापि, **अप्रैल 2026** से उक्त वित्तीय सहायता/ ऋण सुविधाओं का प्रचालन एवं संचालन अनियमित हो गया है। सुरक्षित परिसंपत्तियों द्वारा रखी गई खाता बही से पता चलता है कि सुरक्षित ऋणदाता के प्रति उधारकर्ता की देयता दिनांक **30.07.2026** तक, **रु. 38,61,075.86 (रुपये अड़तीस लाख इकसठ हजार पचहत्तर रुपये एवं छियासी पैसे मात्र)** है, जिसका विवरण भविष्य की ब्याज दर के साथ नीचे **अनुसूची-C** में दिया गया है। यह भी कहा गया है कि ऋणी/जमानतदार उपर्युक्त समझौते की शर्तों का पालन करते हुए सुरक्षित ऋणदाता के बकाये का भुगतान निर्धारित समय के भीतर करने में असफल रहे हैं, तथा बकाये का भुगतान करने में टालमटोल करते रहे हैं। उपर्युक्त वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा/यों का संचालन ठप्प हो गया है और मूल ऋण/किस्त और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक के परिणामस्वरूप, सुरक्षित ऋणदाता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार **29/07/2026** से ऋण को **गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA)** के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बाध्य है।

सुरक्षित लेनदार इस नोटिस के माध्यम से आपके ध्यान में लाता है कि ऋण लेने वाला बकाया राशि/ बकाया देनदारियों को चुकाने में विफल रहा है और इसलिए इस नोटिस को जारी करके आपको अधिनियम की धारा 13(2) के तहत देनदारियों को पूरी तरह से इस **नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर** सुरक्षित लेनदार को **अनुसूची-C** में बताए अनुसार चुकाने की मांग करता है। इसके अलावा, यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि आप सुरक्षित लेनदार द्वारा अपना बकाया वसूलने में की गई कार्यवाही के संबंध में सभी लागतों, शुल्कों, खर्चों और आकस्मिक खर्चों के साथ-साथ **अनुसूची-C** में उल्लिखित मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर भविष्य के ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

कृपया इस तथ्य पर ध्यान दें कि यदि आप सुरक्षित लेनदार को उधारकर्ता की देयता **रु. 38,61,075.86 (रुपये अड़तीस लाख इकसठ हजार पचहत्तर रुपये एवं छियासी पैसे मात्र)**, साथ में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस के संदर्भ में आगे ब्याज और आकस्मिक व्यय और लागत के साथ चुकाने में विफल रहते हैं, सुरक्षित लेनदार धारा 13 की उप-धारा (4)(A) और (B) के तहत वर्णित सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा, जिसका सार इस मुद्दे की गंभीरता को व्यक्त करने के लिए नीचे दिया गया है :

अनुभाग 13(4) : यदि ऋणी/ जमानतदार उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी तरह से दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो सुरक्षित लेनदार अपने सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित उपायों में से एक या अधिक का सहारा ले सकता है, अर्थात् ;

(क) सुरक्षित संपत्ति की वसूली के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित ऋणी/ जमानतदार की सुरक्षित संपत्तियों को कब्जा ले;

(ख) सुरक्षित संपत्ति की वसूली के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित ऋणी के व्यवसाय के प्रबंधन को अपने हाथ में लें : बशर्ते कि पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार केवल वहीं प्रयोग किया जाएगा जहां ऋण लेने वाले के व्यवसाय का पर्याप्त हिस्सा ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में रखा गया हो;

बशर्ते कि जहां पूरे व्यवसाय या व्यवसाय के हिस्से का प्रबंधन अलग-अलग हो, सुरक्षित लेनदार ऋणी के ऐसे व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगा जो ऋण के लिए सुरक्षा से संबंधित है;

और उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के तहत।

"सरफेशि अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, जिसके तहत प्रतिभूतियों पर हमारे मोचन के अधिकारों से संबंधित है"।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि **धारा 13(13) के अनुसार ऋणी/ जमानतदार सुरक्षित लेनदार की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा अनुसूची "बी" में वर्णित कथित सुरक्षित संपत्तियों को हस्तांतरित नहीं करेगा।** आगे यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किए गए इस वैधानिक निषेधाज्ञा/ संयम का कोई भी उल्लंघन एक अपराध है और यदि किसी भी कारण से, व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में सुरक्षित संपत्ति बेची जाती है या पट्टे पर दी जाती है, तो बिक्री प्राप्त आय या आय को सुरक्षित लेनदार के पास जमा किया जाएगा। इस संबंध में आपको ऐसी वसूली/ आय का उचित लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा।

मांग की यह सूचना बिना किसी पूर्वाग्रह के है और इसे किसी अन्य अधिकार या उपचार की छूट के रूप में नहीं माना जाएगा, जो कि सुरक्षित लेनदार के पास हो सकता है, जिसमें आपके द्वारा देय और देय राशि के लिए मांगें शामिल हैं।

यह अधिनियम और /या लागू किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

कृपया इस नोटिस के तहत मांग का अनुपालन करें और सभी अप्रियता से बचें। अनुपालन न करने की स्थिति में, सभी लागतों और परिणामों के लिए आपको उत्तरदायी ठहराते हुए आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

धन्यवाद

आपका विश्वासी,

प्राधिकृत अधिकारी

अनुसूची 'ए'

क्रमांक	लोन सं.	ऋण/सीमा की प्रकृति	स्वीकृति की तिथि	राशि (₹.)
01	160001537837	Housing Loan	31/03/2023	₹ 48,55,558/-
			कुल	₹ 48,55,558/-

अनुसूची 'बी'

क्रमांक	अचल — उपर्युक्त प्रथम अनुसूची : परिशिष्ट-'क'	शीर्षक धारक का नाम / TPA
01	उक्त संपत्ति का समस्त भाग, जो "साइन ओएसिस (SAIN OASIS)" परियोजना में स्थित टॉवर-A के 12वें तल पर स्थित फ्लैट संख्या A-1201 है, जिसका सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट है। यह परियोजना मेसर्स साइन ओवरसीज़ बिल्डवेल प्रा. लि. द्वारा विकसित की गई है। उक्त फ्लैट के साथ एक कवर कार पार्किंग भी सम्मिलित है। यह सम्पत्ति खाता संख्या 35, प्लॉट संख्या 217, ग्राम - गेतालतू, थाना - सदर, थाना संख्या 166, जिला - राँची, झारखण्ड में स्थित है। **फ्लैट की सीमाएं** : उत्तर : लिफ्ट, सीढ़ी एवं फ्लैट संख्या A-1202, दक्षिण : साइड सेटबैक, पूर्व : फ्लैट संख्या A-1207, पश्चिम : साइड सेटबैक	सौरभ आनंद

अनुसूची 'सी'

क्रमांक	लोन सं.	ऋण/सीमा की प्रकृति	दिनांक 07/09/2025 तक ब्याज सहीत देयता	ब्याज दर	CERSAI ID
01	160001537837	Housing Loan	₹ 38,61,075.86	8.50 %	400069703705
		कुल	₹ 38,61,075.86		

त्रुटि के स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा ।